



संख्या:49/2026/1108/2026/1736777/12-2099/149/2023

प्रेषक,
संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2026

विषय:-जनपद रायबरेली में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत उद्यान महाविद्यालय की स्थापना हेतु कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, 30प्र0 शासन के पत्र संख्या:1527/2026/कृशिअ-67-1099/40/2023 दिनांक 16 जुलाई, 2026 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरांत जनपद रायबरेली में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत उद्यान महाविद्यालय की स्थापना हेतु कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तान्तरित करते हुए उक्त भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अभिलेखों में दर्ज कराकर अमलदरामद कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संलग्न पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2026 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में तत्काल नियामनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, 30प्र0 शासन एवं कृषि अनुभाग-2, 30प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:49/2026/1108(1)/2026/1736777/12-2099/149/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० शासन को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2026 के क्रम में।
2. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/10/2026-सी०एक्स(1) दिनांक 17 अगस्त, 2026 के क्रम में।
3. जिलाधिकारी, रायबरेली को प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० शासन को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2026 के क्रम में।
4. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से

डॉ० रंजना दूबे

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।